प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।**
2. **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।**
3. **अपर निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।**
4. **अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।**
5. **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।**

पत्रांकः– सेवा–2/1519-20 / स्थानान्तरण/ 2026–27 दिनांक 10 जुलाई, 2026

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या:410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिवस (आदेश निर्गत होने की तिथि से) का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

उक्त के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि के भीतर सम्पादित कराये जाने हेतु श्रीमती बन्दना गर्ब्याल, निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया। जिनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार उक्त स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय सारिणी निश्चित की गयी है–

क्र0सं0	स्थानान्तरण कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि
1	विभागीय स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना	15 जुलाई, 2026 तक
2	प्रत्येक संवर्ग के लिए रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	15 जुलाई, 2026
3	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	17 जुलाई, 2026
4	अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि	30 जुलाई, 2026
5	प्राप्त विकल्पों/आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	10 अगस्त, 2026
6	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि	15 अगस्त, 2026 से 24 अगस्त, 2026
7	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि	27 अगस्त, 2026
8	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 02 दिन के अन्दर।

अतः शासनादेश संख्या:410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्तांकित समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में निर्धारित समयावधि के भीतर स्थानान्तरण प्रकिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया
(आकांक्षा कोण्डे)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:— सेवा—2/ 1519-20 / स्थानान्तरण/ 2026—27 दिनांक—उक्तानुसार।
प्रतिलिपि— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(झरना कमठान)
(आकांक्षा कोण्डे)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17 (1) ख के अन्तर्गत कार्मिकों (अधिकारी / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / शिक्षकों / कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

1. कार्मिक के सेवा संवर्ग का प्रकार : विकास खण्ड स्तर / जनपद स्तर / मण्डल स्तर / राज्य स्तर

   ....

2. कार्मिक (अधिकारी / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / शिक्षकों / कर्मचारी) का नाम :

   ....

3. कार्मिक का एजुकेशन पोर्टल आई0डी0 क्रमांक..

4. पदनाम... विषय...
   (पदनाम में प्रवक्ता / स0अ0एल0टी0 / स0अ0 प्राथमिक / स0अ0 उच्च प्राथमिक / प्रधानाध्यापक प्राथमिक / प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक / प्रधानाध्यापक हाईस्कूल / प्रधानाचार्य इण्टर कॉलेज / अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख करें)

5. वर्तमान संस्था (विद्यालय / कार्यालय / संस्थान का नाम)...
   (सम्बद्धता की स्थिति में मूल विद्यालय / कार्यालय / संस्थान का नाम लिखें)

6. क्या औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक / शिक्षा मित्र हैं। यदि हां तो उल्लेख करें अथवा नहीं लिखें...............

   ....

7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता (निम्नांकित एक से पांच तक जो लागू हो उसके सम्मुख सही √ का निशान लगायें):–

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्रता		
1	2	3
एक	गम्भीर रूप से रोगग्रस्त / अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति / पत्नी (यथालागू) अथवा माता–पिता अथवा विवाहित / विधवा महिला कर्मियों के सास–ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता / अक्षमता के आधार पर अनुरोध (शा0सं0 : 400683, दिनांक 01 जून 2026 के प्रस्तर–2 (i) में यथावर्णित)।	
दो	मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध।	
तीन	सेवारत पति–पत्नी जिनका पुत्र / पुत्री विकलांग हो।	
चार	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति / पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल / क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध	
पांच	विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध।	

8. स्थानान्तरण हेतु विकल्प वरीयता अनुसार
(विकल्प संवर्ग के अन्तर्गत के ही मान्य होंगे)

वरीयता क्रमांक	कार्यालय / विद्यालय / संस्थान का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

नोटः–

1. अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उससे सन्दर्भित प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र) (गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की स्थिति में स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–3 (च) एवं (छ) के अनुसार प्रमाण–पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है।
2. औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक / शिक्षा मित्र स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदक अधिकारी / शिक्षक / कर्मचारी को विद्यालयी शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल (educationportal.uk.gov.in) से अपने सेवा विवरण का प्रिंट आउट निकालकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आवदेन पत्र अनिवार्यतः निर्धारित समयान्तर्गत, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को अपने कार्यरत विद्यालय / विद्यालय के विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय के विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।
5. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–13 के अन्त में अंकित टिप्पणी के अनुसार भरे हेतु पदों / कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर कार्मिक

नामः–

पदनामः–..............................विषयः–..........................

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

नामः–..

पदनामः–......................................